GCMS - 2022/30

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

लड्डू गुर्जर बनाम नायब तहसीलदार सोप

किस्म मुकद्दमा पुनर्विलोकन प्रा.पत्र नं. 85 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-2-2022	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण समाअत अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 97 रूल–1 सीपीसी बाबत पुनर्वालोकन धारा 86 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील सं0 17/2020 उनवान लड्डू गूर्जर बनाम नायब तहसीलदार सोप निर्णय दिनांक 22–9–2021 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1190/455 रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द,मक्का व बाजरा की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 360/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश नायब तहसीलदार सोप द्वारा दिया गया दिया था। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारान को सुना जाकर अपील अपीलान्ट दिनांक 22–9–2021 को खारिज की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि श्रीमान का ध्यान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अन्डर टेकिंग पर आकर्षित होने से रह गया है जबकि धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पारित सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय इस आधार पर सशर्त सेट ए साईड किया जाना चाहिये। हमने प्रार्थना पत्र व प्रकरण संख्या 17/2020 की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1190/455 रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उडद,बाजरा व मक्का की फसल काश्त की थी इससे पूर्व भी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर गेहू,रजका व सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1391/2016 निर्णय दिनांक 12–3–2016 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से [illegible] चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है एं[illegible] रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ है, कब[illegible] किया गया था उसमें में खसरा नम्बर [illegible]हीं किया गया [illegible] किस खसरा नम्बर का कब्जा छोड़ा गया [illegible] 22–9–2021 को पारित निर्णय में कोई [illegible] उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 47 रूल–1 सीपीसी बाबत पुनर्वालोकन धारा 86 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:22 IST
Reason: SelfAttested